झारखण्ड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, राँची
Jharkhand Council of Educational Research and Training, Ranchi
D.I.E.T. Campus, Ratu, Ranchi-835222, e-mail: jcert.ran@gmail.com

पत्रांक– जे.सी.ई.आर.टी./वि.04–152/2023/ 579 राँची, दिनांकः 01/04/2024

प्रेषक,

आदित्य रंजन, भा.प्र.से.
निदेशक, जे.सी.ई.आर.टी., राँची

सेवा में,

सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी–सह–जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
सभी जिला शिक्षा अधीक्षक–सह–अपर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
सभी अतिरिक्त जिला कार्यक्रम पदाधिकारी।

विषय :– **राज्यांतर्गत संचालित सभी आँगनबाड़ी एवं सरकारी तथा गैर सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों के छात्र–छात्राओं का वर्ग–प्रोन्नति / विद्यालय परिवर्तन के क्रम में शत–प्रतिशत Transition (पारगमन) करते हुए नामांकन हेतु दिशा–निर्देश के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक अंकित करना है कि आँगनबाड़ी/विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं का छीजन एक गंभीर समस्या है। विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं का कक्षा KG से 12 के बीच छीजन प्रक्रिया जारी रहती है। उक्त छीजन प्रायः दो स्थितियों में होता है, यथा –

(1) विद्यालयों में अध्ययनरत रहने के क्रम में एवं
(2) वर्ग–प्रोन्नति के क्रम में एक विद्यालय से उतीर्ण होने के उपरांत दूसरे विद्यालय में नामांकन नहीं करा सकने के कारण।

छात्र–छात्राओं का एक विद्यालय में अंतिम कक्षा उतीर्ण होने के बाद दूसरे विद्यालय में उच्च कक्षा में नामांकन कराने की स्थिति को Transition (पारगमन) कहते हैं।

Transition (पारगमन) के क्रम में छात्रों का नामांकन :–

आँगनबाड़ी एवं विद्यालयों के विभिन्न स्तर यथा – प्राथमिक विद्यालय, मध्य विद्यालय, उच्च विद्यालय एवं प्लस टू उच्च विद्यालय में छात्र–छात्राएँ पढ़ते हैं। छात्र–छात्राओं को कक्षा KG से 12 तक की पढ़ाई के लिए एक–से–अधिक बार विद्यालय परिवर्तन करना पड़ता है। इस क्रम में निम्नलिखित स्थितियाँ पायी जाती है :–

(क) आँगनबाड़ी जहाँ कक्षा 01 के पूर्व के छात्र अध्ययनरत होते हैं, का पोषक क्षेत्र के वैसे विद्यालय जहाँ कक्षा 01 की पढ़ाई की सुविधा उपलब्ध होती है में उन बच्चों का नामांकन कराना पड़ता है।

(ख) केवल प्राथमिक विद्यालय, जहाँ कक्षा 5 तक संचालित हो, के 5वीं कक्षा से उतीर्ण छात्र–छात्राओं को कक्षा 6 के लिए पोषक क्षेत्र के निकटतम वैसे विद्यालय में नामांकन

N·Rani

कराना पड़ता है जहाँ कक्षा छः या छः से उपर के पढ़ाई की व्यवस्था हो यथा – 1-8/6-8/1-10/6-10/1-12/6-12 कोटि के विद्यालय।

(ग) मध्य विद्यालय, जहाँ कक्षा 8 तक संचालित हो, के 8वीं कक्षा से उतीर्ण छात्र-छात्राओं को कक्षा 9 के लिए निकटतम वैसे उच्च विद्यालय में नामांकन कराना पड़ता है जहाँ कक्षा 9 या 9 से उपर की पढ़ाई की व्यवस्था हो यथा – 1-10/6-10/1-12/6-12/9-12 कोटि के विद्यालय।

(घ) उच्च विद्यालय, जहाँ कक्षा 10 तक संचालित हो, के 10वीं कक्षा से उतीर्ण छात्र-छात्राओं को कक्षा 11 के लिए निकटतम वैसे प्लस टू उच्च विद्यालय/इन्टर कॉलेज में नामांकन कराना पड़ता है, जहाँ कक्षा 11-12 की पढ़ाई की व्यवस्था हो।

विद्यालय में अध्ययनरत छात्र-छात्राएँ वर्तमान विद्यालय से वर्ग 5/ 8 / 10 से प्रोन्नति पाकर दूसरे विद्यालय में क्रमशः कक्षा 6 / 9 एवं 11 में नामाकंन कराते हैं तो यहाँ पर विद्यालय परिवर्तन के कारण शत-प्रतिशत छात्र-छात्राओं का नमांकन नहीं हो पाता है। जिससे बच्चें छीजित होते हैं एवं जिला तथा राज्य का शैक्षणिक सूचकांक प्रतिकूल रूप से प्रभावित होता है।

ज्ञात हो कि वर्ष 2022-23 में छीजन का दर विभिन्न स्तर के विद्यालयों में निम्नवत् हैः-

- प्राथमिक कक्षा से उच्च प्राथमिक कक्षा में Transition Rate मात्र 78.69 प्रतिशत।
- उच्च प्राथमिक कक्षा से माध्यमिक कक्षा में 65.71 प्रतिशत।
- माध्यमिक से उच्चतर माध्यमिक में 61.07 प्रतिशत है।

जो राज्य में Transition Rate शत-प्रतिशत नहीं होने का सूचक है।

विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों का शत-प्रतिशत Transition (पारगमन) सुनिश्चित करने हेतु यह आवश्यक है कि आँगनबाड़ी के 06 वर्ष के बच्चों का पोषक क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय के कक्षा 01 में, प्राथमिक विद्यालय के कक्षा 05 से उत्तीर्ण होने वाले बच्चों का निकटतम विद्यालय के कक्षा 6 में नामांकन सुनिश्चित किया जाए। साथ ही कक्षा 8 एवं 10 के बाद विद्यालय से उत्तीर्ण होने वाले बच्चों का क्रमशः कक्षा 09 एवं कक्षा 11 में नामांकन सुनिश्चित हो।

इस हेतु आँगनबाड़ी एवं कक्षा 05, 08 एवं 10 तक संचालित होने वाले विद्यालयों को क्रमशः कक्षा 01, 06, 09 एवं 11 से शुरू होने वाले पोषक क्षेत्र/पोषक क्षेत्र के निकटतम विद्यालयों के साथ टैग करते हुए उसमें बच्चों का नामांकन सुनिश्चित कराना आवश्यक है।

इस कार्य हेतु आँगनबाड़ी से विद्यालयों में एवं विद्यालयों में एक कक्षा से अगली कक्षा तक Transition सुनिश्चित करना अतिआवश्यक है। यदि बच्चे ट्रैक नहीं किए जाएं तो छीजन होना स्वाभाविक है। अतः आँगनबाड़ी केन्द्र से लेकर प्लस टू उच्च विद्यालयों तक एक कक्षा से अगली कक्षा में शत-प्रतिशत नामांकन/प्रोन्नति हेतु सूचना संग्रहण इस पत्र के साथ संलग्न (A, B, C, D) प्रपत्र में किया जाना है एवं प्रपत्र (B, C, D) को ई-विद्यावाहिनी के वेब वर्जन (Web Version) में टैगिंग भी किया जाना है।

N. Rani

उपरोक्त के आलोक में निदेश दिया जाता है कि निम्नलिखित बिंदुओं पर अनिवार्य रूप से ससमय कार्य किया जाना सुनिश्चित करेंगे :-

1. संलग्न सभी प्रपत्र (A, B, C, D) का हार्ड/सॉफ्ट कॉपी सभी प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी के माध्यम से प्रखण्ड के सभी बी.आर.पी./सी.आर.पी. एवं सभी कोटि के सरकारी एवं गैर सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों को पत्र निर्गत तिथि से 02 दिनों के अंदर इस पत्र के साथ उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
2. प्रत्येक जिले में संलग्न सभी प्रपत्र A, B, C एवं D संबंधित बी.आर.पी./सी.आर.पी. अपने संकुल के विद्यालय के प्रधानाध्यापकों के सहयोग से संधारित करेंगे एवं संबंधित प्रखण्ड के प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी (बी.पी.ओ.) उक्त सभी प्रपत्र का हार्ड कॉपी को प्रपत्रवार संग्रहित करेंगे एवं कार्यालय में आँकड़ों के रूप में सुरक्षित रखना सुनिश्चित करेंगे।
3. संलग्न प्रपत्र B, C एवं D संबंधित बी.आर.पी./सी.आर.पी. अपने-अपने संकुल के विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों के सहयोग से दिनांक 10.04.2024 तक ई-विद्यावाहिनी के वेब वर्जन (Web Version, जो ऑनलाईन उपलब्ध है।) में टैगिंग करना सुनिश्चित करेंगे।

   आँगनबाड़ी से संबंधित डाटा (प्रपत्र-A) वर्तमान में केवल हार्ड कॉपी में अद्यतन किया जाना है। उक्त प्रपत्र-A के डाटा को ई-विद्यावाहिनी के वेब वर्जन (Web Version) में टैगिंग किये जाने के संदर्भ में राज्य द्वारा अलग से पत्र प्रेषित किया जाएगा।
4. ई-विद्यावाहिनी के वेब वर्जन (Web Version) में टैगिंग की प्रकिया पूर्ण होने के पश्चात शैक्षणिक-सत्र 2024-2025 के लिए छात्रों का प्रोग्रेशन (Progression /New Enrolment) शुरू किया जाएगा, जिसमें सभी प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक अपने पोषक क्षेत्र के सभी आँगनबाड़ी के कक्षा 01 के नामांकन योग्य छात्रों का, मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक कक्षा 06 में, अपने पोषक क्षेत्र के सभी प्राथमिक विद्यालयों के कक्षा 05 उत्तीर्ण छात्रों का, उच्च विद्यालय के प्रधानाध्यापक कक्षा 09 में, अपने पोषक क्षेत्र के सभी मध्य विद्यालयों के कक्षा 08 उत्तीर्ण छात्रों का एवं प्लस टू उच्च विद्यालय के प्रधानाध्यापक कक्षा 11 में अपने पोषक क्षेत्र के सभी उच्च विद्यालयों के कक्षा 10 उत्तीर्ण छात्रों का शत-प्रतिशत नामांकन सुनिश्चित करेंगे ताकि, शत-प्रतिशत Transition/ पारगमन के लक्ष्य को पूरा किया जा सके।

<u>अनुलग्नकः प्रपत्र A, B, C एवं D</u>

विश्वासभाजन

(आदित्य रंजन)
निदेशक
जे.सी.ई.आर.टी., राँची

ज्ञापांक- जे.सी.ई.आर.टी./वि.04-152/2023/ 579 **राँची, दिनांकः** 01/04**/2024**

प्रतिलिपिः- 1. प्रभारी सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची को सूचनार्थ समर्पित।

N. Rani

2. राज्य परियोजना निदेशक, झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद्, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।
3. सभी क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
4. उप निदेशक (प्र0)/ उप निदेशक (अ0)/ सहायक निदेशक (अ0)/ सहायक निदेशक (अ0-2)/ सभी सलाहकार/ सभी संकाय सदस्यगण जे.सी.ई.आर.टी., राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
5. राज्य एम.आई.एस. समन्वयक, झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद्, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
6. डेलोईट के प्रतिनिधि को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
7. सभी डायट के प्राचाय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

N. Rani

1/4/2024

(आदित्य रंजन)
निदेशक
जे.सी.ई.आर.टी., राँची

प्राथमिक विद्यालयों में सत्र 2023–24 एवं सत्र 2024–25 में कक्षा 1 में छात्र/छात्राओं के नामांकन से संबंधित आँकड़ा संबंधी प्रपत्र – A

जिला का नामः.................................. प्रखण्ड का नामः................................ संकुल का नामः..

क्र0	विद्यालय का नाम एवं U-Dise Code	सत्र 2023–24 में वर्ग 1 में नामांकित छात्र/छात्राओं की सं0	सत्र 2024–25 में वर्ग 1 में नामांकन लेने वाले छात्र/छात्राओं की सं0 (Provisional)	शिक्षक का नाम एवं मो0 नं0 जिनके द्वारा आँगनबाड़ी एवं टोला का भ्रमण किया गया	पोषक क्षेत्र में भ्रमण किए गए आँगनबाड़ी का नाम एवं कक्षा 1 में नामांकन के लिए छात्र संख्या		विद्यालय के शिक्षकों द्वारा भ्रमण किये गये टोला का नाम	संबंधित बी.आर.पी./सी.आर.पी. का नाम एवं मो0 नं0
					आँगनबाड़ी का नाम	आँगनबाड़ी से कक्षा 1 में नामांकन के लिए छात्र/छात्राओं की संख्या		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

N. Rani

मध्य विद्यालयों में सत्र 2023–24 एवं सत्र 2024–25 में कक्षा 6 में छात्र/छात्राओं के नामांकन से संबंधित आँकड़ा संबंधी प्रपत्र – B

जिला का नामः.................................. प्रखण्ड का नामः................................. संकुल का नामः..

क्र0	विद्यालय का नाम एवं U-Dise Code	सत्र 2023–24 में विद्यालय के वर्ग 6 में नामांकित छात्र/ छात्राओं की सं0	सत्र 2024–25 में विद्यालय के वर्ग 6 में नामांकन लेने वाले छात्र/ छात्राओं की सं0 (Provisional)	शिक्षक का नाम एवं मो0 नं0 जिनके द्वारा प्राथमिक विद्यालय एवं टोला का भ्रमण किया गया	पोषक क्षेत्र के निकटतम अवस्थित भ्रमण किए गए प्राथमिक विद्यालयों का नाम एवं कक्षा 5 उतीर्ण छात्र/छात्राओं की संख्या		विद्यालय के शिक्षकों द्वारा भ्रमण किये गये टोला का नाम	संबंधित बी.आर.पी./ सी.आर.पी. का नाम एवं मो0 नं0
					प्राथमिक विद्यालयों का नाम	कक्षा 5 उतीर्ण छात्र/छात्राओं की संख्या		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

N. Rani

उच्च विद्यालयों में सत्र 2023–24 एवं सत्र 2024–25 में कक्षा 9 में छात्र/छात्राओं के नामांकन से संबंधित आँकड़ा संबंधी प्रपत्र – C

जिला का नामः..................................... प्रखण्ड का नामः..................................... संकुल का नामः...

क्र0	विद्यालय का नाम एवं U-Dise Code	सत्र 2023–24 में विद्यालय के वर्ग 9 में नामांकित छात्र/ छात्राओं की सं0	सत्र 2024–25 में विद्यालय के वर्ग 9 में नामांकन लेने वाले छात्र/ छात्राओं की सं0 (Provisional)	शिक्षक का नाम एवं मो0 नं0 जिनके द्वारा मध्य विद्यालय एवं टोला का भ्रमण किया गया	पोषक क्षेत्र के निकटतम अवस्थित भ्रमण किए गए मध्य विद्यालयों का नाम एवं कक्षा 8 उतीर्ण छात्र/छात्राओं की संख्या		विद्यालय के शिक्षकों द्वारा भ्रमण किये गये टोला का नाम	संबंधित बी.आर.पी./ सी.आर.पी. का नाम एवं मो0 नं0
					मध्य विद्यालयों का नाम	कक्षा 8 उतीर्ण छात्र/छात्राओं की संख्या		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

N.Rani

प्लस टू उच्च विद्यालयों में सत्र 2023–24 एवं सत्र 2024–25 में कक्षा 11 में छात्र/छात्राओं के नामांकन से संबंधित आँकड़ा संबंधी प्रपत्र – D

जिला का नाम:.................................. प्रखण्ड का नाम:................................ संकुल का नाम:...

क्र0	विद्यालय का नाम एवं U-Dise Code	सत्र 2023–24 में विद्यालय के वर्ग 11 में नामांकित छात्र/छात्राओं की सं0	सत्र 2024–25 में विद्यालय के वर्ग 11 में नामांकन लेने वाले छात्र/छात्राओं की सं0 **(Provisional)**	शिक्षक का नाम एवं मो0 नं0 जिनके द्वारा उच्च विद्यालय एवं टोला का भ्रमण किया गया	पोषक क्षेत्र के निकटतम अवस्थित भ्रमण किए गए उच्च विद्यालयों का नाम एवं कक्षा 10 उतीर्ण छात्र/छात्राओं की संख्या		विद्यालय के शिक्षकों द्वारा भ्रमण किये गये टोला का नाम	संबंधित बी.आर.पी./ सी.आर.पी. का नाम एवं मो0 नं0
					उच्च विद्यालयों का नाम	कक्षा 10 उतीर्ण छात्र/छात्राओं की संख्या		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

N. Rani